[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2015

आय-कर

का0आ01683(अ).-- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 288 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण के उपखंड (viii) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (नौवां संशोधन) नियम, 2015 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 के नियम 51 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"51क. कारबार संबंध की प्रकृति-- धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण के उपखंड (viii) के प्रयोजनों के लिए, "कारबार संबंध", पद का अर्थन्वयन रूप में किया,--

(i) ऐसे वाणिज्यिक संव्यवहारों से, जो इस अधिनियम या चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) और उन अधिनियमों के अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन किसी संपरीक्षक या संपरीक्षा फर्म द्वारा दी जाने के लिए अनुज्ञात वृत्तिक सेवाओं की प्रकृति के है;

(ii) ऐसे वाणिज्यिक संव्यवहारों से, जो कंपनी के कारबार के मामूली अनुक्रम में आसन्निकट कीमत पर हैं - जैसे दूरसंचार, एयरलाइंस, चिकित्सालय, होटल और वैसे ही अन्य कारबारों में लगी हुई कंपनियों द्वारा कारबार के मामूली अनुक्रम में ग्राहक के रूप में संपरीक्षक को उत्पाद या सेवाओं का विक्रय,
भिन्न किसी वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए किए गए किसी संव्यवहार के रूप में किया जाएगा।"

[अधिसूचना सं. 50/2015/फा.सं. 142/9/2015-टी.पी.एल.]

(राजेश कुमार भूत)
निदेशक (कर नीति और विधान)

टिप्पण--मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, में और अधिसूचना संख्यांक का.आ.1660(अ), तारीख 22/06/2015 द्वारा उनका अंतिम संशोधन किया गया था ।